

अध्याय — 18

कोषों के अन्तरण के सिद्धान्त

18.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन के द्वितीय अध्याय में हमने अन्तरण के बारे में रूपरेखा प्रस्तुत की है। सामान्यतः अन्तराल को पूरा करने की दृष्टि से स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। उनकी जरूरतों का सही-सही मूल्यांकन तभी सम्भव है जब स्थानीय निकायों के राजस्व और व्यय के बारे में पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हों। जैसा कि हम बता चुके हैं कि, सभी प्रयासों के बावजूद हमें पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। इस मामले में पंचायती राज संस्थाओं की तुलना में नगरीय निकायों की स्थिति कुछ बेहतर जरूर है परन्तु इनके आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं है। नगरीय निकायों से सीधे तौर पर प्राप्त आंकड़ों में समानता और समरूपता नहीं है। इसके बावजूद हमने प्रतिमान आधार पर जरूरतों और वित्तीय कमी का तथ्यात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। हमने अन्तरण के सम्बन्ध में जो अनुशंसायें की हैं, वे बहुत कुछ तदर्थ अवश्य हैं परन्तु ये अनुशंसायें स्थानीय निकायों की जरूरतों को ध्यान में रख कर की गई हैं। हम जानते हैं कि हमने प्रथम राज्य वित्त आयोग की तुलना में कुछ उच्चतर दर पर अन्तरण के जो प्रस्ताव किये हैं, उनसे उनकी कुल आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं।

18.2 अन्तरण का एक प्रमुख सिद्धान्त यह है कि इससे संविधान में अपेक्षित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्ता पूरी होनी चाहिए। इसलिये इन निकायों को अधिक से अधिक कोष हस्तांतरित किये जाने और उनके साथ कम से कम शर्तें लगाये जाने की अनुशंसा की है। जैसा कि इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, शासकीय योजनायें स्थानीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती हैं। अतः उनके माध्यम से किये गये राज्य सरकार के अन्तरण से स्थानीय आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें से बहुत सी योजनायें मूलभूत सेवाओं पर केन्द्रित नहीं होती हैं। इसलिये यह अनुशंसा की है कि राज्य सरकार से किया गया अन्तरण अधिकतर अनाबद्ध (अनटाइड) प्रकृति का होना चाहिये।

18.3 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित इस आयोग के निर्देश पदों में यह अपेक्षा की गई है कि स्थानीय निकायों को कोष के हस्तांतरण के सम्बन्ध में अनुशंसा करते समय आयोग को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की मांगों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिये। हमने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख चतुर्थ अध्याय में किया है। इस समय राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आयोग की अधिनिर्णय अवधि वाले वर्षों में भी वह इसी तरह सुदृढ़ रहेगी, बशर्ते कि कोई प्रतिकूल परिस्थितियां न हो जिसकी संभावना कम है। इसलिये उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर आयोग के द्वारा प्रस्तावित अन्तरणों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18.4 वित्तीय अन्तरण उसी समय सार्थक होगा जबकि स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति में सुधार और क्षमता का विकास भी साथ-साथ हो। आयोग इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि राज्य के स्थानीय निकायों की वर्तमान क्षमता ऐसी नहीं है कि वे वित्तीय अन्तरण तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि का सम्यक् रूप से उपयोग कर सकें। इसके साथ ही हम विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहेंगे कि आंतरिक संसाधनों के दोहन के प्रति न तो स्थानीय निकाय स्तर पर और न ही राज्य सरकार स्तर पर उतना ध्यान दिया जा रहा है, जितना कि दिया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को सेवा शुल्क सहित अपने आंतरिक राजस्वों को बढ़ाने तथा नागरिकों को सतत मूलभूत सुविधायें प्रदान करना चाहिए। अपने राजस्व को बढ़ाने के लिये प्रयास करने से उनमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी तथा उनकी वित्तीय स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। इसीलिये हमने प्रशासन में सुधार करने, आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करने, कार्य और वित्तीय व्यवस्था में जवाबदेही को राजकोषीय अन्तरण के साथ जोड़ते हुए अपनी अनुशंसाएँ की हैं।

18.5 वर्ष 2012-13 के लिये आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में हमने राजकोषीय अन्तरण के कुछ सिद्धान्त अपनाये थे। अधिनिर्णय अवधि के शेष वर्षों के लिये भी उन्हीं सिद्धान्तों को अपनाने का हमारा प्रस्ताव है जिससे निरंतरता बनी रहे। साथ ही जहां जरूरी समझा गया है, हमने कुछ संशोधन अवश्य किये हैं।

18.6 आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों की हिस्सेदारी के लिये राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व को मान्य किया है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व से करों के संग्रहण व्यय के साथ उन तीन करों को भी घटा दिया गया है जिनका सकल आगम स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये तीन कर हैं – (i) 0029 भू राजस्व, (ii) 0042 माल तथा यात्री कर और (iii) वस्तु और सेवा पर अन्य कर। इस प्रक्रिया से जो प्राप्त हुआ उसे राज्य का शुद्ध कर राजस्व माना गया है। अंतरिम रिपोर्ट में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की गणना उपलब्ध बजट आंकड़ों के आधार पर की गई थी। अधिनिर्णय अवधि के शेष वर्षों (अर्थात् 2013–2017) के लिये हमने राज्य के स्वयं के कर राजस्व के उन प्रक्षेपित आंकड़ों को आधार बनाया है जिसकी विस्तृत गणना प्रस्तुत रिपोर्ट के चतुर्थ अध्याय (कंडिका 4.15 और 4.12) में की गई है। इसी प्रकार हमने उन तीनों करों के राजस्व का भी प्रक्षेपण किया है जो शुद्ध कर राजस्व की गणना करने के लिये राज्य के स्वयं के कर राजस्व से घटाये जाते हैं। हमने पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2007–08 से 2011–12) के दौरान इनमें से प्रत्येक कर मद में प्राप्त राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण करके उनके घट-बढ़ की प्रवृत्ति का पता लगाने की कोशिश की। इस विश्लेषण से जो आंकड़े प्राप्त हुए उनसे इनमें घट-बढ़ की किसी ऐसी प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। जिसे अगले पांच वर्षों में इनके प्रक्षेपण हेतु आधार बनाया जा सके।

तालिका 18.1

वे कर जिनका सकल आगम स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाता है।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
स्वयं का कर राजस्व	5618.1	6328	7123.3	9005.14	10494.8	12175.6
0042 माल एवं यात्री कर	510.72	485	696.1	675.14	700.00	805
0029 भू राजस्व	88.12	100	159.69	247.37	250	275
0045 वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर	6.25	6.22	6.41	10.68	6.84	7.82
कुल योग	605.09	591.22	862.2	933.19	956.84	1087.82
स्वयं का कर राजस्व से प्रतिशत	10.8	9.3	12.1	10.4	9.1	8.9

उपर्युक्त तालिका संख्या 18.1 से ज्ञात होता है कि घटाये जाने वाले तीनों करों से प्राप्त हुई धनराशि प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग है परन्तु इन तीनों करों से प्राप्त कुल राजस्व राज्य के स्वयं के कुल कर राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत है। इसलिये हमने राज्य के लिये कर राजस्व के इस 10% को इन करों के आगम का प्रक्षेपण माना है। इसी प्रकार इन करों की संग्रहण लागत के प्रक्षेपण के लिये हमने पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को आधार बनाया है। तालिका संख्या 18.2 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के चार प्रमुख करों की वसूली पर आया व्यय राज्य के स्वयं के कर राजस्व का लगभग 2% है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान यह 1.9% से 2.6% के मध्य था।

तालिका 18.2
वसूली लागत की गणना

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012 - 2013
2030 स्टांप और पंजीयन	42.18	45.97	58.81	57.78	81.01	102.02
2039 राज्य उत्पाद शुल्क	45.17	49.27	59.41	97.41	108.27	77.48
2040 वाणिज्य कर	14.24	24.42	25.71	30.00	55.91	50.57
2041 वाहनों पर कर	7.48	17.86	10.83	12.14	23.44	28.24
कुल व्यय	109.07	137.52	154.76	197.33	268.63	258.31
स्वयं के कर राजस्व में व्यय का प्रतिशत	1.9	2.2	2.2	2.2	2.6	2.1

नियंत्रक एवं महालेखाकार के अनुसार करों की वसूली पर व्यय 2% से कम रहा है। (दृष्टव्य- 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन का परिशिष्ट 1.5 की कंडिका 1.3.1) हमने उक्त वसूली व्यय को राज्य के कर राजस्व में 2% के समतुल्य प्रक्षेपित किया है।

18.7 उपर्युक्त आधार पर वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 की पांच वर्षों की अवधि के लिये स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की गणना की गई है। तालिका संख्या 18.3 में स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का प्रक्षेपण प्रस्तुत है। इस हिसाब से पांच वर्षों की उक्त अवधि के लिये

स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की राशि लगभग रु. 72,418.55 करोड़ बनती है। जो प्रतिवर्ष औसतन रूपये 14,484 करोड़ है।

तालिका 18.3

राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का प्रक्षेपण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
द्वितीय छ.ग.राज्य वित्त आयोग द्वारा किया गया स्वयं का कर राजस्व का प्रक्षेपण	(वास्तविक) 12175.59	14118.50	16165.8	18509.7	21193.6
घटायें- नगरीय निकायों को हस्तांतरित राशि (स्वयं का कर राजस्व का अनुमानित 10 प्रतिशत)	1087.82	1411.85	1616.58	1850.97	2119.36
घटायें- वसूली पर व्यय (स्वयं का कर राजस्व का अनुमानित 2 प्रतिशत)	258.31	282.37	323.32	370.19	423.87
स्वयं का शुद्ध कर राजस्व	10829.46	12424.28	14225.9	16288.54	18650.37

18.8 राज्य के प्रथम वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 8.287% अंतरण के स्थान पर राज्य सरकार ने स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का केवल 6% स्थानीय निकायों को देना स्वीकार किया था। हमने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% भाग पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को दिये जाने की अनुशंसा की है। उच्चतर दर पर अंतरण की अनुशंसा के निम्नलिखित कारण हैं :-

(क) चिन्हित की गई मूलभूत शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना का क्रमोन्नयन तथा मूलभूत नागरिक सेवाओं का समुचित प्रदाय और इन संस्थाओं को ठोस आधार पर मजबूती से खड़े होकर जन विश्वास अर्जित करने में मदद देना। इन दोनों ही बातों की दृष्टि से स्थानीय निकाय विशेष कर पंचायती राज संस्थाएँ अभी बहुत कमजोर हैं।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार के अनेक विकास मूलक कार्यक्रमों से इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है।

(ग) यद्यपि आयोग स्पष्टतः इस पक्ष में है कि पंचायती राज संस्थाएँ तथा नगरीय निकाय अपने आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करें परन्तु कतिपय संस्थागत कमजोरियों और कार्यक्षमता में कमी के कारण स्वयं के संसाधन बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। यह बात पंचायती राज संस्थाओं पर विशेष रूप से लागू होती है जिनके संसाधन आधार सीमित हैं। वस्तुस्थिति यह है कि अनुसूची पांच क्षेत्रों की पंचायतें तो अपने आंतरिक संसाधन बढ़ाने की स्थिति में ही नहीं हैं। इसीलिये हमने अपनी रिपोर्ट में उनके लिये 'उदार कर व्यवस्था' की अनुशंसा की है।

(घ) जैसा कि हम पहले ही कह आये हैं, "अन्तराल को पाटने" वाला दृष्टिकोण उसी समय सम्भव है जबकि विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों। फिलहाल यह अन्तराल इतना बड़ा है, जिसे पाटने के लिये बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। हमने यह पाया है कि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में स्वयं के कर राजस्व की 6% से अधिक राशि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की है। अतएव आयोग यह अनुशंसा करता है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% भाग स्थानीय निकायों को दिया जाये। इस तरह हम वित्तीय अन्तरण के उसी स्तर को बरकरार रखना चाहते हैं जिसकी अनुशंसा हमने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में की है।

18.9 पांच वर्षों की आलोच्य अवधि के लिये राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व रूपये 72,418.55 करोड़ होने का अनुमान है। इसका विभाजनीय कोष अर्थात् 8% भाग रूपये 5793.48 करोड़ अर्थात् वार्षिक रु. 1158.6 करोड़ बनता है। तालिका 18.4 में पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये विभाजनीय कोष की राशि दर्शायी गई है:-

तालिका 18.4

विभाजनीय कोष : पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2012.13 (बजट)	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17	कुल
(1) राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व	10829.46	12424.28	14255.90	16288.54	18650.37	72418.55
विभाजनीय	866.36	993.94	1138.07	1303.08	1492.03	5793.48

कोष (स्वयं के कर राजस्व का 8%)						
पंचायती राज संस्था (6.15%)	666.01	764.09	874.89	1001.74	1147.00	4453.73
नगरीय निकाय (1.85%)	200.35	229.85	263.18	301.34	345.03	1339.75

18.10 स्थानीय निकायों को अन्तरित कुल धन राशि का पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य विभाजन सामान्यतः ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का 76.8% तथा शहरी जनसंख्या का 23.2% है। इसलिये विभाजनीय कोष में पंचायती राज संस्थाओं का भाग 6.15% और नगरीय स्थानीय निकायों का भाग 1.85% होगा। अधिनिर्णय अवधि के प्रत्येक वर्ष में उनके हिस्से की राशि उपर्युक्त तालिका में बताई गई है। तदनुसार पांच वर्षीय अधिनिर्णय अवधि में कुल रु. 5793.48 करोड़ (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को रु. 4453.73 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकायों को रु. 1339.75 करोड़) प्राप्त होंगे।

अन्तरण का फार्मूला

पंचायती राज संस्थाएँ

18.11 जहाँ तक पंचायती राज संस्थाओं का सम्बन्ध है, उनके लिये कोष का जिलावार आंबटन हमारे अन्तरिम प्रतिवेदन में बताये गये आधार पर किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह आधार निम्नानुसार है :-

- | | | |
|---|---|-----|
| (i) जनसंख्या (2011 की जनगणना) मानदंड भार | - | 60% |
| (ii) क्षेत्रफल मानदंड भार | - | 20% |
| (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मानदंड भार | - | 10% |
| (iv) गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या मानदंड भार | - | 10% |

18.12 हमारा विचार पंचायती राज संस्थाओं को कोष के जिलावार वितरण के लिये जिलों के पिछड़ेपन को आधार बनाने का था, परन्तु सभी 27 जिलों के बारे में इस संबंध में पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण हम यह सूची (index) नहीं बना सके। इस सूची के बदले में हमने जिलावार आबंटन के लिये उपर्युक्त मानदण्ड अपनाया है। हमें उम्मीद है कि इस मानदण्ड से भी काफी हद तक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में हमने यह माना है कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण के अनुरूप होनी चाहिये। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की चिन्हित करने के लिये भारत सरकार द्वारा नये सिरे से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जैसे ही इन परिवारों की पुनरीक्षित संख्या ज्ञात होती है, अन्तरण के लिये उस संख्या पर विचार किया जाना उचित होगा। राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति आन्तरिक संसाधन दोहन को 10% भार दिये जाने की अनुशंसा की थी। आन्तरिक राजस्व का काम ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्रायः होता है। राज्य की 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतों से हमें जो आंकड़े मिले और हमारी ओर से 'समर्थन' और 'प्रदान' संस्थाओं ने जो सर्वेक्षण और अध्ययन किया, उनके आधार पर हमारी दृढ़ धारणा है कि राजकोषीय अन्तरण के मामले में आन्तरिक संसाधन दोहन को कोई महत्व दिया जाना यथार्थपरक नहीं होगा। साथ ही राजकोषीय अन्तरण के साथ कोई ऐसी शर्त लगाना अनुसूची पांच के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों के लिये काफी नुकसानदेह है। इसलिये आन्तरिक संसाधन के स्थान पर हमने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मानदंड भार दिये जाने का सुझाव दिया है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के जरिये आंतरिक संसाधन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर इस प्रतिवेदन के सातवें अध्याय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त आधार पर जिलेवार आबंटन की गणना की गई है, जो तालिका 18.5 में प्रस्तुत है।

तालिका 18.5

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन

(करोड़ रु. में)

क्र.	जिला	प्रतिशत	2012.13	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17
1	बालोद *	3.27	21.76	24.97	28.59	32.73	37.48
2	बलौदाबाजार*	5.16	34.39	39.46	45.18	51.73	59.23
3	बलरामपुर*	3.83	25.48	29.24	33.47	38.33	43.89
4	बस्तर	4.01	26.72	30.65	35.10	40.18	46.01
5	बेमेतरा*	3.32	22.11	25.36	29.04	33.25	38.07
6	बीजापुर	2.07	13.77	15.79	18.08	20.71	23.71
7	बिलासपुर	6.52	43.43	49.82	57.05	65.32	74.79
8	दन्तेवाड़ा	1.46	9.53	11.16	12.78	14.63	16.75
9	धमतरी	2.90	19.33	22.18	25.39	29.07	33.29
10	दुर्ग	2.77	18.44	21.15	24.22	27.73	31.75
11	गरियाबंद*	2.91	19.36	22.22	25.44	29.13	33.35
12	जांजगीर-चांपा	6.18	41.16	47.22	54.06	61.90	70.88
13	जशपुर	4.53	28.81	33.05	37.84	43.33	49.61
14	कबीरधाम	3.53	23.53	27.00	30.91	35.39	40.52
15	कांकेर	3.83	25.48	29.23	33.47	38.32	43.88
16	कोंडागांव*	3.10	20.65	23.69	27.12	31.06	35.56
17	कोरबा	4.19	27.89	32.00	36.64	41.95	48.04
18	कोरिया	2.49	16.61	19.06	21.82	24.98	28.61
19	महासमुन्द	4.59	30.59	35.10	40.19	46.01	52.69
20	मुंगेली*	2.87	19.09	21.90	25.07	28.71	32.87

21	नारायणपुर	0.71	4.71	5.40	6.19	7.08	8.11
22	रायगढ़	6.43	42.83	49.14	56.27	64.42	73.77
23	रायपुर	4.01	26.68	30.61	35.04	40.13	45.94
24	राजनांदगांव	6.29	41.91	48.08	55.05	63.04	72.18
25	सुकमा*	1.77	11.80	13.54	15.50	17.75	20.32
26	सूरजपुर	3.64	24.25	27.83	31.86	36.48	41.77
27	सरगुजा	3.83	25.51	29.27	33.52	38.38	43.94
	कुल योग	100.00	666.00	764.09	874.89	1001.74	1147.00

- जब तक इन नवगठित 9 जिलों में जिला पंचायत नहीं बन जाती हैं तब तक के लिये वर्ष 2012-13 के आबंटन का 3% भाग तथा इसके बाद के वर्षों में 5% उनके पुराने जिलों की जिला पंचायतों को दिया जाये, जिनके साथ वे वर्तमान में सम्बद्ध हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को आबंटन

18.13 पंचायतों के तीनों स्तरों अर्थात् जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के मध्य पंचायती राज संस्थाओं के उपर्युक्त 6.15% भाग का वितरण उनके वैधानिक कार्यों तथा अन्य उत्तरदायित्वों के आधार पर किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्व शासन की दृष्टि से इन तीनों में से सर्वाधिक महत्व ग्राम पंचायतों का है और उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। इनकी तुलना में जनपद पंचायतों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बहुत कम है और उनकी भूमिका बहुत कुछ पर्यवेक्षीय है, और वह भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। जिला पंचायतों की भूमिका और कृत्य अपेक्षाकृत स्पष्ट और सुपरिभाषित हैं। उन्हें प्रमुखतः योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, समन्वयन तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को सभी अनुदान जिला पंचायतों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों के विलयन के फलस्वरूप उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ गई हैं। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लिये कोष के वितरण के सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

क्र.	पंचायती राज संस्था	रूपये करोड़ में
1	ग्राम पंचायत 85%	3785.68
2	जनपद पंचायत 10%	458.68 *
3	जिला पंचायत 5%	209.37 *
कुल योग	100%	रु. 4453.73 करोड़ (या लगभग 4454 करोड़)

* वर्ष 2012-13 के लिये जनपद पंचायतों के 12% और जिला पंचायतों के 3% भाग सहित

अपने अंतरिम प्रतिवेदन में हमने जनपद पंचायतों को 12% और जिला पंचायतों को 3% भाग दिये जाने की अनुशंसा की थी। इसी बीच राज्य सरकार ने 'जनपद सशक्तिकरण योजना' के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद पंचायत को एक-एक करोड़ रु. का अनुदान दिया है। इसलिये हमने जनपद पंचायतों का हिस्सा घटाकर 10% और जिला पंचायतों का हिस्सा बढ़ाकर 5% कर दिया है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 के लिये जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का हिस्सा क्रमशः 12% तथा 3% और शेष चार वर्षों के लिये क्रमशः 10% और 5% रहेगा।

18.14 जिला पंचायतों को 5% आबंटन का अर्थ है, तालिका संख्या 18.5 में बताये गये उस जिले के कुल आबंटन का पांच प्रतिशत। इस समय राज्य में 18 जिला पंचायतें हैं, जबकि इस बीच राज्य में जिलों की संख्या बढ़ कर 27 हो गई है। इन नवगठित नौ जिलों का आबंटन उन्हीं जिला पंचायतों को मिलता रहेगा, जिनके साथ वे इस समय सम्बद्ध हैं। जब इन जिलों में जिला पंचायतों का गठन हो जायेगा, उनका आबंटन नवगठित 9 जिला पंचायतों को मिलने लगेगा।

18.15 जनपद पंचायतों को 10% और जिले की ग्राम पंचायतों को 85% आबंटन का वितरण उनकी पारस्परिक जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षों के दौरान राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण के लिये कुल मिला कर रु. 3785.68 करोड़ अथवा मोटे तौर पर रु. 3786 करोड़ की राशि उपलब्ध होगी। औसत की दृष्टि से पांच वर्षों की इस अवधि में प्रति ग्राम पंचायत को रु. 38.90 लाख अथवा प्रति

वर्ष रु. 7.78 लाख की राशि प्राप्त होगी। अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष 2012-13 में रु. 2 लाख का विशेष आबंटन अलग से दिया गया है। हमने अंतरिम प्रतिवेदन में अनुसूची पांच के अन्तर्गत आने वाली 4607 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष 2012-13 में रु. 2 लाख का विशेष अनुदान ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन में से दिये जाने की अनुशंसा की है। इन ग्राम पंचायतों के राजस्व के कमजोर आधार और कमजोर अधोसंरचना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इन ग्राम पंचायतों को अधिनिर्णय अवधि के शेष चार वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में यह धनराशि देना जारी रखें और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित कोष में कोई परिवर्तन नहीं करे। अनुसूचित क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत की औसत जनसंख्या 1900 है। इस दृष्टि से उन्हें 5 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति एक सौ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। चूंकि इन ग्राम पंचायतों की क्षमता बहुत कमजोर है, अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस राशि का उपयोग उसी काम के लिये किया जाना चाहिए जिस काम के लिये उन्हें यह राशि दी गई है।

तालिका 18.6

प्रति ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत को प्रति वर्ष अन्तरण का प्रक्षेपित औसत
(करोड़ रु. में)

क्र.	वर्ष	ग्राम पंचायत		जनपद पंचायत	जिला पंचायत
		पेसा ग्राम पंचायत	0.069		
1	2012.13	ग्राम पंचायत	0.049	0.55	0.74
2	2013.14	-	0.067	0.52	1.41
3	2014.15	-	0.076	0.60	1.62
4	2015.16	-	0.087	0.69	1.86
5	2016.17	-	0.100	0.79	2.12
	पांच वर्षों हेतु	-	0.379	3.14	7.75

वर्ष 2012-13 के लिये ग्राम पंचायतों को अंतरण पेसा ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अंतरण का औसत है।

18.16 पेसा (PESA) क्षेत्र की ग्राम पंचायतों सहित पंचायती राज संस्थाओं को प्रति वर्ष प्रक्षेपित औसत अन्तरण उपर्युक्त तालिका संख्या 18.6 में प्रस्तुत किया गया है। पांच वर्षों

की अवधि में प्रति ग्राम पंचायत वित्तीय अन्तरण रु. 37.9 लाख अथवा लगभग रु. 38.00 लाख का होगा। पेसा क्षेत्र की प्रति ग्राम पंचायत के लिये यह राशि रु. 48 लाख की होगी, क्योंकि इस अवधि में प्रति वर्ष उनमें से प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो-दो लाख रुपये अलग से दिये जायेंगे। इन पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद पंचायत को रु. 3.14 करोड़ तथा जिला पंचायत को रु. 7.75 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। जहां तक ग्राम पंचायतों का सम्बन्ध है, प्रति वर्ष का आबंटन जो रु. 7.60 लाख बड़ी राशि नहीं है। **आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों के लिये प्रस्तावित समग्र कोष उन्हें अनाबद्ध (अनटाइड) रूप में प्राप्त हो परन्तु इसके साथ हम यह भी चाहते हैं कि इस राशि का उपयोग सड़कों पर लाइट लगवाने, उसका विस्तार करने, नल के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने और इस व्यवस्था का विस्तार करने, ग्रामीण साफ-सफाई तथा ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर किया जाये। इस कोष का उपयोग ग्राम स्तर पर पल्स पोलियो, प्रौढ़ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नशाबन्दी, बाल विवाह निषेध आदि जैसे राष्ट्रीय तथा सामाजिक अभियानों के लिये भी किया जा सकता है, परन्तु इन अभियानों पर प्रतिवर्ष रु. 50,000 से अधिक खर्च नहीं किये जाने चाहिए।**

18.17 जनपद पंचायतें, जिनकी मुख्य भूमिका पर्यवेक्षण की हैं, अपेक्षाकृत अधिक कोष प्राप्त करेंगी। उन्हें इस कोष का उपयोग जनपद की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, ग्राम पंचायतों को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने तथा 'पंच' स्तरीय प्रशिक्षण (कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नहीं) तथा पंचों के सशक्तिकरण के लिये करना चाहिए। जिला पंचायतों को प्रति वर्ष रु.1 करोड़ से अधिक धनराशि मिलेगी। आयोग चाहता है कि इस धन राशि का समुचित और सार्थक उपयोग किया जाये। हमने जिला स्तर पर जिला पंचायत डाटा बैंक बनाये जाने की बात की है। जिला पंचायत को दी जाने वाली राशि से इस डाटा बैंक के लिये कम्प्यूटर खरीदा जा सकता है और इस कार्य के लिये अलग से कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त किया जा सकता है। जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिये भी इस कोष का उपयोग किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के कार्यों पर इस कोष का उपयोग किया जा सकता है। इस सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को तकनीकी व्यक्ति की सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, ग्राम

पंचायतों और जिला पंचायतों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है तथा जिला स्तरीय सेमीनार तथा जन जागरण शिविर आयोजित किये जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस समय अनेकानेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, और उन कार्यक्रमों के लिये आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध करायी जा रही है। आयोग चाहता है कि इन सभी कार्यक्रमों तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया का संग्रह करके 'हैण्ड बुक' का प्रकाशन कराएँ तथा इन पुस्तिकाओं की प्रतियाँ ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराये। राज्य सरकार को जिला पंचायतों से यह कार्य सुनिश्चित कराना उचित होगा। अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भी हमने यह अनुशंसा की थी, और हम फिर इसे दुहराते हैं। इस समय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें से कतिपय कार्यक्रमों के बीच अन्तर्सम्बन्ध कायम करके उन्हें और भी सार्थक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। जिला पंचायतें ऐसे कार्यक्रम जो केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हैं, ऐसी योजनाएँ बनाकर उन पर धनराशि आबंटित कर सकती हैं। ये कार्यक्रम मूलभूत सेवा प्रदाय तथा ग्रामीण अधोसंरचना की स्थापना से संबंधित होने चाहिए। पंचायत विभाग पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरण के लिये उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और अनुदेश जारी कर सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय

18.18 प्रतिवेदन के पन्द्रहवें अध्याय में हमने अधिनिर्णय अवधि के दौरान राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में सम्भावित वित्तीय कमी का आकलन किया है। हमारा अनुमान है कि इसके लिये रु. 5777 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। (परिशिष्ट-15.2)। इस अवधि में इन निकायों द्वारा अपने संसाधनों से जुटाई गई धन राशि और उन्हें राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान की राशि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि इस अवधि में अधोसंरचना पर विनियोग के लिये आवश्यक धनराशि में रूपये 2,253 करोड़ की वित्तीय कमी होगी। हमारा अनुमान है कि ये निकाय कर सुधारों से अतिरिक्त रु. 648 करोड़ का दोहन कर लेंगे। इसके बाद भी रु. 1600 करोड़ की आवश्यकता होगी जिसे

वित्तीय अन्तरण से पूरा किया जाना है। हमारे हिसाब से विभाजनीय कोष में नगरीय निकायों का हिस्सा लगभग रु.1340 करोड़ का होगा। (कंडिका 18.9) इस तरह इसके बाद केवल रु.260 करोड़ की कमी रह जायेगी, जिसे राज्य सरकार के सहायता अनुदानों से पूरा किया जा सकता है। परन्तु इसमें राज्य सरकार से स्वच्छता मद में प्रस्तावित रु. 150 करोड़ व क्षमता विकास के लिये प्रस्तावित रु. 50 करोड़ की सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित है। इस प्रकार कमी केवल रु. 60 करोड़ की ही रह जावेगी। इस कमी की पूर्ति की व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं। इस अपेक्षा के साथ कि इसकी पूर्ति राज्य शासन की योजनाओं के जरिये उच्चतर अनुदान और साथ ही निकायों के आंतरिक संसाधनों का और भी बेहतर ढंग से दोहन से होगा।

नगरीय स्थानीय निकायों के बीच आबंटन

18.19 राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 8% विभाजनीय कोष में जनसंख्या के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.85 प्रतिशत बनता है। (कंडिका 18.9 तथा तालिका संख्या 18.4)। राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने तीनों स्तरों के नगरीय निकायों के मध्य इस अन्तरण को निम्नलिखित आधार पर वितरित किये जाने की अनुशंसा की थी—

जनसंख्या मानदंड भार	—	80%
क्षेत्रफल मानदंड भार	—	10%
गन्दी बस्ती मानदंड भार	—	10%

राज्य सरकार ने इसमें एक और मानदण्ड 'राजस्व प्रयास' जोड़ कर उसे 10% मानदंड भार दिया तथा जनसंख्या के भार को 80% से घटा कर 70% कर दिया। नगरीय निकायों को अन्तरण के बारे में हम इन मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तथापि हमारे मत में नगर पंचायतों के मामले में गन्दी बस्तियों को 10% भार दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य में नगर पंचायत क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 12,85,665 है जो राज्य की कुल जनसंख्या के 21.70% के बराबर है। नगर पंचायत की औसत जनसंख्या लगभग 10000 है। इस जनसंख्या में गन्दी बस्ती होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। अतएव जहां तक नगर पंचायतों का सम्बन्ध है, उनके लिये जनसंख्या को 80% भार दिया जाना ही सुसंगत है। उन्हें गन्दी बस्ती का 10% का भार नहीं दिया जाये।

नगर पंचायतों के मामलों में यथा प्रस्तावित कुछ भिन्न मानदंड के कारण नगरीय निकायों के मध्य अन्तरण के पारस्परिक आबंटन का कोई एक रूप मानदण्ड नहीं रह जायेगा। अतः इसके लिये कुछ अलग फार्मूला बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारा प्रस्ताव है कि नगरीय निकायों के हिस्से का 22% भाग, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या में नगर पंचायतों की जनसंख्या के बराबर है, केवल नगर पंचायतों के लिये निर्धारित कर दिया जाये और उसे ऊपर बताये गये तरीके से नगर पंचायतों के मध्य वितरित किया जाये। एतदनुसार नगरीय निकायों के मध्य पारस्परिक आबंटन निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

	नगर पालिक निगम + नगर पालिका परिषद 78%	नगर पंचायत 22%
मापदण्ड	मानदंड भार	मानदंड भार
जनसंख्या (2011 जनगणना)	70%	80%
क्षेत्रफल	10%	10%
गन्दी बस्ती जनसंख्या	10%	-
राजस्व प्रयास	10%	10%

उपर्युक्त आधार पर नगरीय निकायों के विभाजनीय कोष में से वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक अन्तरण निम्नानुसार होगा -

तालिका 18.7

नगरीय निकायों के मध्य पारस्परिक आबंटन

(करोड़ रु. में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16	2012-17
नगर पालिक निगम और नगर पालिका परिषद, (78%)	-	179.28	205.28	235.04	269.12	
नगर पंचायत, (22%)	-	50.57	57.90	66.29	75.91	
योग	200.345	229.85	263.18	301.34	345.03	1339.74

इस तरह इन पांच वर्षों की अवधि में नगरीय निकायों के लिये प्रस्तावित कुल अंतरण में से नगर पंचायतों के हिस्से में लगभग रु. 300 करोड़ रुपये आते हैं। (यह मानकर चलने पर कि वर्ष 2012-13 में उनके लिये आबंटन लगभग रु. 50 करोड़ का होगा।) इस प्रकार प्रत्येक नगर पंचायत को आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रति वर्ष औसतन रु. 40 लाख से अधिक की धन राशि प्राप्त होगी।

18.20 नगरीय निकायों के लिये प्रस्तावित आबंटन अनाबद्ध (अनटाइड) प्रकृति का होना चाहिए। इसके साथ ही ओर इसका उपयोग प्रमुख रूप से शहरी अधोसंरचना तथा मूलभूत सेवाओं के प्रदाय के लिये होना चाहिए। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रयोजनों पर ही इस राशि का उपयोग किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाना चाहिये। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय तिमाही आधार पर व्यय पर नजर रखे तथा इसका प्रतिवेदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। यह राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है तथा इससे नगरीय स्थानीय निकायों की तमाम आवश्यकतायें पूरी हो जायेगी, इसकी सम्भावना कम है। हमने अध्याय 15 में शहरी निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं की और प्रस्तावित कोष अंतरण से उनकी पूर्ति कहा तक होगी इसके बारे में चर्चा की है।

18.21 जैसा कि हमने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कहा है, राज्य सरकार ने राज्य के प्रथम वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित धनराशि स्थानीय निकायों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के जरिये उपलब्ध की है। हम यह मानते हैं कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से राशि उपलब्ध कराये जाने के अपने विशिष्ट लाभ हो सकते हैं परन्तु इनसे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में स्थानीय निकायों को कोई स्वायत्तता नहीं मिलती है। हमने इस प्रतिवेदन में यह बात कही है कि राज्य सरकार की योजनाओं, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं से संबंध रखने वाली योजनाओं से ग्रामों के लिये आवश्यक मूलभूत सेवायें प्राप्त नहीं होती है। इनमें से बहुत सी योजनाओं के उद्देश्य एक जैसे हैं। राज्य सरकार की नगरीय निकायों से सम्बन्धित योजनाओं पर भी यही बात लागू होती है। राज्य सरकार की योजनायें तेरहवें वित्त आयोग द्वारा चिन्हित की गई पांच मूलभूत सेवाओं पर केन्द्रित नहीं है। तीसरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से राशि के

हस्तांतरण से यह सुनिश्चित नहीं रहता कि नगरीय निकायों को कब और कितनी धन राशि मिलेगी। इस अनिश्चिता के कारण स्थानीय प्रकृति की योजनायें प्रभावित होती हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा किया जाना संविधान की अन्तरण विषयक भावना के प्रतिकूल है। इसलिये हम यह बात दुहराना चाहेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित पूर्ण धनराशि अनाबद्ध (अनटाइड) प्रकृति की होनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस राशि का उपयोग आयोग द्वारा अनुशंसित प्रयोजनों के लिये ही किया जाये। इन राशि के उपयोग के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाना चाहिए। हमने अलग से अनुशंसा की है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जो समिति 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत दिये गये कोष के उपयोग पर नजर रखती है, वह द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित राशि के उपयोग पर भी नजर रखे।

राज्य सरकार से कोष का अंतरण

18.22 इस प्रतिवेदन के अध्याय 8 और 13 में राजस्व के समनुदेशन की अनुशंसा की गई है, उसके अतिरिक्त कुछ और कर राजस्व स्थानीय निकायों को सौंपे जाने के लिये यह आयोग अनुशंसा नहीं करता है। हमारी अनुशंसा मात्र इतनी है कि राज्य सरकार प्रमुख खनिजों से प्राप्त रायल्टी का अल्प भाग ग्राम पंचायतों को देने पर विचार करे।

18.23 इस समय निम्नलिखित करों का सकल आगम अथवा उसका कुछ भाग पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाता है :-

तालिका संख्या 18.8

स्थानीय निकायों को राज्य के राजस्व का हस्तांतरण (करोड़ रु. में)

पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति	स्कीम कोड	2012-13
भू राजस्व	-	275
स्टाम्प और पंजीयन शुल्क	4610	45
गौण खनिज रायल्टी अनुदान	6299	110

मनोरंजन शुल्क अनुदान	8879	1.9
कुल योग		431.9 अथवा 432
राज्य के स्वयं का कर राजस्व	—	12175.59
राज्य के स्वयं के राजस्व के साथ प्रतिशत	—	3.55
नगरीय निकायों को क्षतिपूर्ति		
प्रवेश कर (चुंगी) अनुदान	8018	668.25
यात्री कर अनुदान	9436	8
लायसेंस शुल्क अनुदान	5061	15.5
स्टाम्प और पंजीयन शुल्क	4035	36.16
मनोरंजन कर अनुदान	8850	7.76
कुल योग	—	735.7
राज्य का स्वयं का कर राजस्व		12175.59
राज्य के स्वयं के राजस्व के साथ प्रतिशत		6.04

उपर्युक्त तालिका संख्या 18.8 में हमने चालू वर्ष के बजट प्रावधान के आंकड़े भी दिये हैं, जिनसे राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये जा रहे राजस्व की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को उपर्युक्त करों से हस्तांतरण की सम्भावित धनराशि जानने के लिए हमने विगत पांच वर्षों के दौरान इन करों से प्राप्त राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण करके इसमें वृद्धि दर की प्रवृत्ति जानने का प्रयास किया है जिससे सम्भावित राजस्व हस्तांतरण का प्रक्षेपण किया जा सके। इस विश्लेषण से भी वृद्धि दर का पता नहीं लगता है। इसलिये अधिनिर्णय अवधि के दौरान इन करों से स्थानीय निकायों को सम्भावित राजस्व हस्तांतरण का प्रक्षेपण करने के लिये हमने वर्ष 2012-13 से संबंधित बजट प्रावधानों की राशि और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में उक्त राशि के प्रतिशत को आधार बनाया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिये प्रावधान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के 3.5% से कुछ अधिक तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिये प्रावधान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के 6.0% से कुछ अधिक है। हमने उक्त पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि के लिये राज्य के कुल कर

राजस्व की प्रक्षेपित राशि के उपरोक्त प्रतिशत के आधार पर राजस्व के हस्तांतरण का प्रक्षेपण किया है। वैसे पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिशत की मात्रा भी लगभग यही थी। उपरोक्त आधार पर स्थानीय निकायों को आयोग द्वारा प्रस्तावित राजस्व अन्तरण सहित कुल वित्तीय हस्तांतरण की राशि तालिका 18.9 के अनुसार होगी :-

तालिका 18.9
स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरण

(करोड़ रु. में)

	2012-13 वास्तविक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-17
पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण - (6.15%)	666.00	764.1	874.9	1001.7	1147.0	4453.7
पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व हस्तांतरण	431.9	494.1	565.8	647.9	741.8	2881.5
पंचायती राज संस्थाओं को कुल प्राप्ति	1097.9	1258.2	1440.7	1649.6	1888.8	7335.2
नगरीय निकायों को अंतरण (1.85%)	200.3	229.9	263.2	301.3	345.00	1339.7
नगरीय निकायों को राजस्व हस्तांतरण	735.7	917.7	1050.8	1203.1	1377.6	5284.9
नगरीय निकायों को कुल प्राप्ति	936.0	1147.6	1314.0	1504.4	1722.6	6624.6

इस तरह अधिनिर्णय अवधि के 5 वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को सम्भावित राजस्व हस्तांतरण रु. 7335.2 करोड़ तथा नगरीय स्थानीय निकायों को रु.6624.6 करोड़ का होगा। इस तरह राज्य की ग्रामीण जनसंख्या को इन पांच वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति हस्तांतरण रु. 3741.8 अथवा रु. 748.4 प्रतिवर्ष होगा। राज्य की शहरी जनसंख्या को इसी अवधि में प्रति व्यक्ति हस्तांतरण रु. 1,11,59 अथवा रु. 2231.8 प्रतिवर्ष होगा।

